(48)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2704–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 22–6–2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण क्रमांक 210/अपील/11–12.

रघुनाथ आत्मज स्व. मिश्रीलाल
निवासी एवं कृषक ग्राम फन्दाकलां
तहसील हुजूर जिला भोपाल .....आवेदक

विरूद्ध

1– मोहन सिंह आत्मज शिवचरण
2– रामलाल आत्मज स्व. मिश्रीलाल
निवासीगण ग्राम फन्दाकलां
तहसील हुजूर जिला भोपाल .....अनावेदकगण

श्री जे0पी0 त्यागी, अभिभाषक, आवेदक
श्री संदीप श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदक क. 1

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/1/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–6–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा नायब तहसीलदार, वृत्त 4 तहसील हुजूर जिला भोपाल के समक्ष संहिता की धारा 250 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम फन्दाकलां तहसील हुजूर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 530 रकबा 2.574 हेक्टेयर का वह भूमिस्वामी है । उक्त भूमि का सीमांकन कराये जाने पर अनावेदक क्रमांक 1 की भूमि रकबा 1.05 एकड़ पर आवेदक का एवं रकबा 0.45 एकड़ पर अनावेदक क्रमांक 2 का अवैध कब्जा पाया गया है, अतः कब्जा दिलवाया जाये । नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 2/अ–70/10–11 दर्ज कर दिनांक 31–3–11 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा अनावेदक क्रमांक 1 को दिलाये जाने के आदेश दिये गये । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी,

तहसीलल हुजूर जिला भोपाल के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 18–1–2012 को आदेश पारित कर प्रथम अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 22–6–2015 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ प्रकरण दिनांक 25–10–2016 को उभय पक्ष को एक सप्ताह में लिखित तर्क प्रस्तुत किये जाने के निर्देश के साथ आदेशार्थ रखा गया था, परन्तु आवेदक के अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं । अतः प्रकरण का निराकरण निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों एवं अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में उठाये गये आधारों के परिप्रेक्ष्य में किया जा रहा है । निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा यह पाते हुए कि तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है, अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार किया गया है, और उसके विपरीत दिनांक 18–1–2012 को अंतिम आदेश पारित किया गया है, जो कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है ।

(2) तहसील न्यायालय द्वारा कभी भी आवेदक को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है, और प्रवाचक द्वारा फर्जी तरीके से दिनांक 30–7–2010 को आवेदक की उपस्थिति अंकित की गई है ।

(3) अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रवाचक की कार्यवाही को पीठासीन अधिकारी की कार्यवाही मानकर आदेश पारित करने में विधि विरूद्ध कार्यवाही की गई है ।

(4) सीमांकन कार्यवाही के विरूद्ध राजस्व मण्डल में निगरानी प्रचलित है, इसलिए बेदखली का आदेश अवैधानिक एवं अनियमित है ।

(5) तहसील न्यायालय में अनावेदक कमांक 1 द्वारा देवीसिंह को ग्राम का कोटवार बताकर शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है, जबकि कोटवार पद पर नंदकिशोर तथा दुर्गाप्रसाद नियुक्त हैं ।

उनके द्वारा तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) सीमांकन आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपर कलेक्टर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई थी, जो कि आदेश दिनांक 6–12–2012 द्वारा निरस्त की गई है ।

(2) तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये हैं, जिनमें हस्तक्षेप करने का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

(3) अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विधिवत नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए आवेदक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए आदेश पारित किये गये हैं, जो विधि अनुकूल होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं हैं ।

(4) आवेदक की ओर से व्यवहार न्यायालय में वास्ते स्वत्व घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु वाद प्रस्तुत किया गया था, जो कि निरस्त हो गया है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में किये गये सीमांकन के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रकरण कमांक 460–पीबीआर/13 में दिनांक 11–1–2017 को आदेश पारित कर सीमांकन को विधिवत ठहराया गया है, अतः उपरोक्त सीमांकन के आधार पर तहसील न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 250 के अंतर्गत कार्यवाही की जाकर आदेश पारित करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिक अथवा अन्यायपूर्ण कार्यवाही नहीं की गई है, और तहसील न्यायालय के विधिसंगत आदेश की पुष्टि करने में अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । इस प्रकार तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष विधिसंगत होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं हैं । दर्शित परिस्थितियों में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–6–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर